

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक :- 9 (सू०अधि०)-93/2015/ 4880 (4880) ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 15-9-15
प्रेषक,

आनन्द गोपाल वर्मा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत श्रीमती सरिता देवी,
गिरिडीह को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का पत्रांक- 1280
दिनांक- 04.09.2015

महाशय,


उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि श्रीमती सरिता देवी, गिरिडीह द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी से सूचना की माँग की गई है। सूचना अप्राप्त रहने पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया गया, तत्पश्चात भी सूचना अप्राप्त रहने पर इनके द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर किया गया है। संभवतः इन्हें अब तक सूचना अप्राप्त है। प्रासंगिक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली से मुख्य सचिव के माध्यम से इस विभाग में प्राप्त है।

यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में है।

अतएव प्राप्त पत्र को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।


विश्वासभाजन,


14-9-15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 9 (सू०अधि०)-93/2015/ 4880 / ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 15-9-15


प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


14-9-15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 9 (सू०अधि०)-93/2015/ 4880 / ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 15-9-15

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता देवी, वार्ड सदस्य, वार्ड नं०- 07, ग्राम एवं पंचायत- जमखोखरो, प्र०- देवरी, गिरिडीह, पिन- 815314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


14-9-15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 9 (सू०अधि०)-93/2015/ 4880 / ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 15-9-15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

SPEED
POST